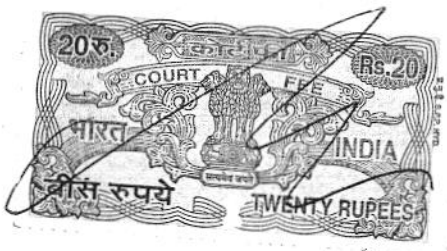

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(38)

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

पीबी-4466/2018/रायसेन/भू.रा. अपील प्र.क्र.- /पीबीआर/18

म0प्र0 शासन द्वारा-: अनुविभागीय अधिकारी
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0

....अपीलार्थी

विरूद्ध

(199)

1. किशोरसिहं आ0 श्री चतरसिहं
2. सजींव आ0 श्री राम जी
   निवासी ग्राम कुमडी विठौरी तहसील गौहरगंज
   जिला रायसेन म0प्र0
3. नारायणसिहं आ0 श्री श्यामसिहं
   निवासी ग्राम नादौरा तहसील गौहरगज
   जिला रायसेन म0प्र0
4. गोरेलाल आ0 सरदार
5. हरिकिशन आ0 रामलाल
   निवासी ग्राम कुमडी विठौरी तहसील गौहरगंज
   जिला रायसेन म0प्र0

...प्रत्यर्थीगण

अभिभाषक श्री प्रेमसिंह ठाकुर द्वारा आज दिनांक 31/5/18 को पेश। अधीक्षक

मुख्य कार्यालय पत्र से दिनांक 6-18 को सर्किट कैम्प प्रस्तुत। 6-18

म0प्र0 भू राजस्व सहिंता कि धारा 44(2) के अंतर्गत अपील

माननीय महोदय,

अपीलार्थी माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र0 469/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 22/08/2016 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह अपील आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

— 2 —

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/4466/2018/रायसेन/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-05-19	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 22-8-2010 में निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1971-72 के पूर्व गोरेलाल को दिया गया है और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को वर्ष 2008-09 में विक्रय की गई है । इस संबंध में 1999 आर0एन0 364 में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पट्टा प्राप्ति के 10 वर्ष पश्चात् भूमि का विक्रय करने के लिये कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । वैसे भी संहिता की धारा 165(7-ख) दिनांक 24-10-1981 से प्रभावशील हुई है। इस संबंध में 2013 आर0एन0 8 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 165(7-ख) को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है और धारा के अंत:स्थापन के पूर्व प्रदान किये गये पट्टे पर संहिता की धारा 165(7-ख) लागू नहीं होती है । अत: उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अत: प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	